

संख्या: 2-20/2015-ई0एक्स0 एन0-एच0-स्थापना-गांग-2-
आवकारी एवं कराधान विभाग
हिमाचल प्रदेश

दिनांक:

शिमला-9

2021

कार्यालय आदेश

पीईआर(एफी) री-वी 1/2019 दिनांक 22 अप्रैल 2020 की अनुपालना में विभागीय जांच समिति की रास्तुति के आधार पर श्री मनमोहन अनुबंध आधार पर कार्यरत कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक जिन्होने दिनांक 30.09.2020 को अनुबंध आधार पर (03) तीन वर्ष का रोवाकाल पूर्ण कर लिया है, को दिनांक 20.01.2021 को आशुलिपि की परीक्षा द्वितीय भाषा अर्थात् हिन्दी में उत्तीर्ण करने के उपरांत नियमित नियम व शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष उपरिथित सूचना प्रस्तुत करने की तिथि से वेतनमान Rs.5910-20200+2800 ग्रेड पे के अंतर्गत न्यूनतम एवं आवकारी शिमला-9 में तैनात किया जाता है तथा गुरुवार, राज्य कर्त्तव्य के


क्रमांक	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी का पता	कर्मचारी की जन्म तिथि	अनुबंध आधार पर नियुक्ति की तिथि तथा पदनाम (कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक तथा आशुलिपिक)
1.	श्री मनमोहन कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	पुत्र श्री दीत राम गाव खोब्र डॉ कढारधाट, चं० सुनी जिला- शिमला	15.01.1990	24.04.2017

नियम व शर्तेः—

- कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के पद पर यह नियुक्ति दो वर्षों के लिए अस्थाई है।
- कर्मचारी को रास्तारी रोवा से एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताये पदव्युत किया जा सकता है। यह नोटिस रास्तारी तथा कर्मचारी किसी भी पक्ष द्वारा दिया जा सकता है। नियुक्ति करने वाले प्रधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उसकी सेवाओं को एक मारा करने वालों के समान राशि देकर भी समाप्त कर सकता है।
- कर्मचारी को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करनी होगी।
- कर्मचारी को यह शपथ ग्रहण करनी होगी कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता व इमानदारी से करेंगे तथा भारतीय संविधान के प्रति सत्यनिष्ठ रहेंगे।
- कर्मचारी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के किसी भी रथान पर की जा सकती है।
- कर्मचारी की नियुक्ति विभाग के अंतर्गत उपक्रम हिमाचल प्रदेश विवरणिंज लिमिटेड, में भी की जा सकती है।
- कर्मचारी को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र गूल रूप में उपरिथित सूचना के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
- कर्मचारी यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि यदि वह विवाहित है तो उसकी केवल एक ही पत्नी/पति है।
- कर्मचारी गुरु चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा आधिकारी से अपनी रखरखता संबंधी विभिन्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा तदोपरांत ही उनकी उपरिथित ली जाएगी।

10. कर्मचारी की नियुक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके चरित्र एवं पूर्ववत् के सत्यापन कर निर्भर करेगी।
11. कर्मचारी किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारियों से जो उन्हें लगभग तीन वर्ष से जानते हों से आगे अच्छे चाल चलन का प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रत्युत करेंगे।
12. यदि कर्मचारी आरक्षित वर्ग से सम्बद्ध रखते हैं तो वह इस आशय का सक्षम अधिकारी प्राप्त जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रत्युत करेंगे।

यदि उपरोक्त नियुक्ति प्रत्याव उग्मीदवार को स्वीकार्य हो तो उसे इस आदेश के जारी होने के पश्चात् 10 दिनों के भीतर—2 अपनी उपस्थिति सूचना इस कार्यालय में प्रत्युत करनी होगी।


 (रोहन चन्द्र माजुमदर)
 आबकारी एवं कराधान आयुक्त
 हिमावत प्रदेश

पृष्ठांकन रांख्या: 2-20/2015-ई0एक्स10 एन0-एव0-स्थापना-भाग -2- ५२ ५८-८४ ०।.३३२०२१
 प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) को उनके कार्यालय पत्र रांख्या. फीईआर(एफी) सी-वी 1-2019 दिनांक 22.04.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) हिं0 प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), शिमला-03 को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. जिला कोषाधिकारी, राजधानी कोष शिमला-02 सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य विकित्ता अधिकारी/विकित्ता अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
6. विल शाखा, कार्यालय राज्य कर एवं आबकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
7. आई0टी0 शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि यह कार्यालय आदेश शीघ्र विभागीय राईट पर अपलोड किया जाए।
8. व्यक्ति विशेष/निजी नरित/गार्ड फाईल।


 (रोहन चन्द्र माजुमदर)
 आबकारी एवं कराधान आयुक्त
 हिमावत प्रदेश